छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 106/2006</u>

श्री जनक देव मिश्रा, ... आवेदक
सेवानिवृत्त प्रोजेक्टर
आपरेटर,
पशु चिकित्सा विभाग,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी एवं . . . . . अनावेदक
संयुक्त संचालक,
पशुचिकित्सा सेवाएं,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(01 जून 2006)

आवेदक श्री जनक देव मिश्रा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना आयोग को शिकायत की कि उसने संयुक्त संचालक, पशुचिकित्सा विभाग से कुछ अभिलेखों की जानकारी चाही थी। उक्त जानकारी के उत्तर में संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं के द्वारा उसे यह जवाब दिया गया कि संबंधित लिपिक अर्जित अवकाश पर है, अतः आवेदक के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायत प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी, संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं को नोटिस जारी किया गया तथा उनसे जवाब मांगा गया। जवाब में उन्होंने बतलाया कि संचालक के पत्र की जानकारी जिसे कि आवेदक चाह रहे थे, वह आवेदक को जानकारी थी। संबंधित स्थापना लिपिक एवं उनके परिवार के लोग एक जीप दुर्घटना में घायल हो जाने से संबंधित लिपिक अवकाश पर रहा। इस कारण जानकारी देने में विलम्ब हुआ।

आयोग के द्वारा संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं, बिलासपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उनके विरूद्ध रुपए 5,500/– का अर्थदण्ड सूचना विलम्ब से देने के फलस्वरूप क्यों न आरोपित किया जावे। सूचना अधिकारी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को समय पर सूचना नहीं दी गई। यह सही है कि संबंधित स्थापना लिपिक का परिवार जीप दुर्घटना में घायल हुआ था तथा उनकी एक पुत्री की मृत्यु भी हुई। किन्तु कार्यालय प्रमुख संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं को लिपिक की इतनी लंबी अवधि की अनुपस्थिति को देखते हुए उनके घर से चाबी बुलवाकर शासकीय कार्य समय पर किया जाना चाहिए था। आवेदक को समय पर सूचना न देकर त्रुटि की गई है। किन्तु संबंधित लिपिक के परिवार की दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए तथा उसके कारण हुए विलम्ब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जन सूचना अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए केवल राशि 1,000/— रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त